Reg No 20537
File No IV/2561
Serial No 58

पत्रांक: 6542 /वे०स०पु०/न्यायिक/ई०आर०पी०-101 दिनांक 14-12-98

प्रेषक,

संयुक्त निदेशक,
शिविर कार्यालय, कोषागार निदेशालय, उ०प्र०,
नवीन कोषागार भवन, कचहरी रोड, इलाहाबाद ।

सेवा में,

जनपद न्यायाधीश,
पौड़ी गढ़वाल

दिनांक: 01-12-98

विषय:- 1 जनवरी, 1996 से लागू पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन पुनरीक्षण से प्रतिफलित उक्त तिथि के पश्चात् समयबद्ध योजनान्तर्गत 5 वर्ष की नियमित अर्ह सेवा के तहत दिनांक 1-1-96 से अनुमन्य उच्च वेतनमान/सेलेक्शन ग्रेड का लाभ शासनादेश दिनांक 23-12-97 के द्वारा स्थगित रखे जाने की व्यवस्था के सापेक्ष श्री आमीन्चरन, सिविलजज (सीनियर डिवीजन) की सेवा पुस्तिका का प्रेषण ।

=========

महोदय,

उपर्युक्त विषयक इस कार्यालय के पत्र संख्या 4687/वे०स०पु०/न्यायिक/ई० आर०पी०-101, दिनांक 11-8-98 का कृपया सन्दर्भ लें, जिसके माध्यम से पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन निर्धारण हेतु श्री आमीन्चरन, सिविलजज (सीनियर डिवीजन) द्वारा अपना विकल्प इस कार्यालय में प्रस्तुत किये जाने हेतु शासनादेश संख्या वे.आ. नि-356/दस-22(एम)/97, दिनांक 23-12-97 के प्रस्तर-4 में दी गयी व्यवस्था कि- ऐसे पद धारक जिनके उच्च वेतनमान दिनांक 1-1-96 के बाद पूर्व के वेतनमान में वैयक्तिक रूप से प्राप्त हुआ है पुनरीक्षित वेतनमान में समयमान वेतनमान का लाभ वर्तमान व्यवस्था के आधार पर स्थगित रहेगा अर्थात् उच्च वेतनमान का सामान्य पुनरीक्षित वेतनमान अनुमन्य नहीं होगा-अग्रेतर शासनादेश के उल्लेखानुसार दिनांक 1-1-96 के बाद अनुमन्य ऐसे मामलोंमें निर्णय बाद में लिया जायेगा, के अन्तर्गत श्री आमीन्चरन की सेवा पुस्तिकाइस आशय से आपको प्रेषित की गयी थी कि शासनादेश में दी गयी व्यवस्था के अन्तर्गत श्री आमीन्चरन के पुनरीक्षित वेतन-मान में वेतन निर्धारण कर आगे अपने स्तर से उनके वेतनादि का निस्तारण करें, किन्तु आपने श्री आमीन्चरन का पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन निर्धारण कर उनकी सेवा पुस्तिका अपने पत्र संख्या 633/सि० दिनांक 6-11-98 द्वारा इस कार्यालय को पुनः भेज दी है ।

उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्या 79/दो-4-22(29)/87, दिनांक 7-2-90 जिसमें न्यायिक सेवा के साधारण वेतनमान में 5 वर्ष की नियमित संतोषजनक सेवा के

-------2

Request-78

(1579)
S.O. Admn A-1/H

D.R
5.12.98

D.R.(M)
For information
May file?
S.O. A1
File

04 DEC 1998

बाद (सम्मान योजनान्तर्गत) वैयक्तिक रूप से उच्च वेतनमान अनुमन्य किये जाने सम्बन्धी शासनादेश के सापेक्ष माननीय उच्च न्यायालय ने अपने विज्ञप्ति संख्या सी-945/सी.एफ/डी-1997, दिनांक 16-10-97 के तहत श्री [illegible] को दिनांक [illegible] से न्यायिक सेवा के साधारण वेतनमान में सम्मान के प्रतिबद्धता के अनुरूप वैयक्तिक रूप से उच्च वेतनमान रु0 3000-4500 अनुमन्य कराया है और यह अनुमन्यता की तिथि दिनांक 1-1-96 के बाद पड़ती है, जिसे शासनादेश दिनांक 23-12-97 के द्वारा स्थगित रखने की व्यवस्था की गयी है ।

अतएव न्यायिक सेवा के साधारण वेतनमान के पदधारक श्री [illegible] की सेवा पुस्तिका मूलरूप से इस पत्र के साथ संलग्न कर इस आशय से आपको प्रेषित है कि शासनादेश में निर्दिष्ट नियमों के अनुसार श्री [illegible] के वेतनादि का निस्तारण आप अपने स्तर से करने का कष्ट करें ।

संलग्नक:- सेवापुस्तिका ।

भवदीय,

([illegible])
संयुक्त निदेशक ।

<u>संख्या व दिनांक उपर्युक्त</u> ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु.

प्रेषित:-

1. श्री [illegible], [illegible] ([illegible]), [illegible]
2. निबन्धक, माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद ।

([illegible])
संयुक्त निदेशक ।

Digitally signed by Sant Lal Sharma
Date: 2019.11.07 15:11:58 IST
Reason: A.R.(ADMIN-H)
Location: High Court, Allahabad